कार्यालय जिला कलक्टर भरतपुर

अपील / RTI / 47 / 2024

रघुपाल सिहं C/O श्रीमती वन्दना सिहं निवासी निवासी 104 कृष्णा नगर भरतपुर पिन नं. 321001 मो. नं. 9461792930

.....अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी कलक्ट्रेट भरतपुर

.....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश दिनांक 13.11.2024

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्ट श्री रघुपाल सिहं C/O श्रीमती वन्दना सिहं निवासी निवासी 104 कृष्णा नगर भरतपुर की अपील लोक सूचना अधिकारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी कलक्ट्रेट भरतपुर के विरूद्व इस आशय की प्राप्त हुई है कि अपीलार्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से चाही गई सूचना, लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। न्यायालय के पत्रांक कोर्ट / 24 / 744 दिनांक 04.11.2024 से लोक सूचना अधिकारी से अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध कराने / नहीं कराने की रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी कलै0 भरतपुर से पत्रांक सू.का.आ / निर्वा. / 2024 / 6687 दिनांक 07.11.2024 से जबाब / सूचना प्राप्त हुई, जो शामिल मिसिल की गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाव का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी ने अपने जबाव में

......2

जिला कलक्टर
भरतपुर

अंकित किया है कि प्रार्थी / अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के एवज में निर्धारित राशि राजकोष में जमा कराये जाने के उपरान्त कार्यालय के पत्रांक निर्वा./ 2024 / 6303 दिनांक 18.09.2024 से जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित कर मूल प्रार्थना पत्र अनुसार चाही गई सूचना उपलब्ध करा दी गई है।

उक्तानुसार लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जवाब के अवलोकन से जाहिर आया कि लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी भरतपुर द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत मूल आवेदन पत्र अनुसार चाही गई सूचना प्रार्थी / अपीलार्थी को उपलब्ध करा दी गई है। लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर कोई सूचना लम्बित नहीं होने के कारण अपील खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है, निर्णय की प्रति अपीलान्ट को (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त पत्रादि की फोटो प्रति सहित) प्रेषित हो। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी कलक्ट्रेट भरतपुर को प्रेषित हो। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर